

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, बेगूसराय।

पटना, दिनांक- 22/3/17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 में नगर निगम, बेगूसराय क्षेत्रान्तर्गत नागरिक सुविधा मद अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु अवशेष राशि ₹80.00 लाख (अस्सी लाख रु०) मात्र की वित्तीय वर्ष 2016-17 में सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में नगर निगम, बेगूसराय क्षेत्रान्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना को स्तम्भ- 4 में अंकित राशि ₹160.00 (एक करोड़ साठ लाख रु०) मात्र के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश सं०- 60, दिनांक- 08.02.2013 द्वारा प्रदान करते हुए स्तम्भ- 5 के अनुरूप के अनुरूप कुल ₹160.00 (एक करोड़ साठ लाख रु०) मात्र स्वीकृत एवं आवंटित की गयी थी। परन्तु विभागीय पत्रांक- 361, दिनांक- 18.02.2013 द्वारा उक्त स्वीकृत योजना के लिए शुद्धि पत्र निर्गत करते हुए कुल ₹80.00 लाख (अस्सी लाख रु०) मात्र नगर निगम, बेगूसराय को आवंटित किया गया। इस प्रकार उक्त योजना के लिए ₹80.00 लाख (अस्सी लाख रु०) मात्र राशि अवशेष है।

2. नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय के पत्रांक- 432, दिनांक- 16.02.2017 द्वारा उक्त आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए शेष राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त अनुरोध एवं विभागीय राज्यादेश सं० 258 दिनांक 22/3/17 के आलोक में तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना के लिए अवशेष राशि ₹80.00 लाख (अस्सी लाख रु०) मात्र की स्वीकृति नागरिक सुविधा मद से वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नवत् आवंटित की जाती है :-

(राशि लाख में)						
क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	अवशेष राशि (4-5)	वर्तमान में आवंटित कुल अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर निगम, बेगूसराय	दिनकर भवन का उन्नयन एवं सौंदर्यीकरण कार्य।	160.00	80.00	80.00	80.00

कुल आवंटित राशि ₹80.00 लाख (अस्सी लाख रु०) मात्र।


✓

4. आवंटित कुल ₹80.00 लाख (अस्सी लाख रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय होंगे, जिनके द्वारा संबंधित कोषागार से चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि की निकासी की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 एवं पत्रांक- 811, दिनांक- 12.08.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
5. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। चूंकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम 270 के आलोक में यथा T.C फॉर्म संख्या 42 में राशि की निकासी की जाएगी। राशि की निकासी के बाद T.V. नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496/वि०(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।
6. आवंटित कुल राशि ₹80.00 लाख (अस्सी लाख रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या 48 बजट शीर्ष 2217- शहरी विकास- उपमुख्यशीर्ष -01- राज्य की राजधानी का विकास- लघुशीर्ष -191- नगर निगम को सहायता- उपशीर्ष -0116- नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें, विपत्र कोड- P 2217011910116 राज्य योजना स्कीम कोड URB 5080 -विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।
7. योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।
8. योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा कराया जाएगा।
9. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवदेन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
12. संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।
13. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि आवंटित की गई है।

14. उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

15. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०सु०-03-17/2015 259

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 22/3/17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी०, प्रबंधक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव।



बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*** अनौपचारिक
रूप से परामर्शित**

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 22/3/17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 में नगर निगम, बेगूसराय क्षेत्रान्तर्गत नागरिक सुविधा मद अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु अवशेष राशि ₹80.00 लाख (अस्सी लाख रु०) मात्र की वित्तीय वर्ष 2016-17 में सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में नगर निगम, बेगूसराय क्षेत्रान्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना को स्तम्भ- 4 में अंकित राशि ₹160.00 (एक करोड़ साठ लाख रु०) मात्र के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश सं०- 60, दिनांक- 08.02.2013 द्वारा प्रदान करते हुए स्तम्भ- 5 के अनुरूप के अनुरूप कुल ₹160.00 (एक करोड़ साठ लाख रु०) मात्र स्वीकृत एवं आवंटित की गयी थी। परन्तु विभागीय पत्रांक- 361, दिनांक- 18.02.2013 द्वारा उक्त स्वीकृत योजना के लिए शुद्धि पत्र निर्गत करते हुए कुल ₹80.00 लाख (अस्सी लाख रु०) मात्र नगर निगम, बेगूसराय को आवंटित किया गया। इस प्रकार उक्त योजना के लिए ₹80.00 लाख (अस्सी लाख रु०) मात्र राशि अवशेष है।

2. नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय के पत्रांक- 432, दिनांक- 16.02.2017 द्वारा उक्त आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए शेष राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त अनुरोध के आलोक में तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना के लिए अवशेष राशि ₹80.00 लाख (अस्सी लाख रु०) मात्र की स्वीकृति नागरिक सुविधा मद से वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)						
क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	अवशेष राशि (4-5)	वर्तमान में स्वीकृत कुल अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर निगम, बेगूसराय	दिनकर भवन का उन्नयन एवं सौंदर्यीकरण कार्य।	160.00	80.00	80.00	80.00

कुल स्वीकृत राशि ₹80.00 लाख (अस्सी लाख रु०) मात्र ।

/s/

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

4. स्वीकृत कुल ₹80.00 लाख (अस्सी लाख रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय होंगे, जिनके द्वारा संबंधित कोषागार से चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि की निकासी की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 एवं पत्रांक- 811, दिनांक- 12.08.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
5. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। चूंकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम 270 के आलोक में यथा T.C फॉर्म संख्या 42 में राशि की निकासी की जाएगी। राशि की निकासी के बाद T.V. नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496/वि०(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।
6. स्वीकृत कुल राशि ₹80.00 लाख (अस्सी लाख रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या 48 बजट शीर्ष 2217- शहरी विकास- उपमुख्यशीर्ष -01- राज्य की राजधानी का विकास- लघुशीर्ष -191- नगर निगम को सहायता- उपशीर्ष -0116- नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें, विपत्र कोड- P 2217011910116 राज्य योजना स्कीम कोड URB 5080 -विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।
7. योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।
8. योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा कराया जाएगा।
9. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवदेन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
12. संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।
13. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि आवंटित की गई है।

14. उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

15. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 2ब०/ना०सु०-03-17/2015 के पृष्ठ सं०-.....47...../टि० पर दिनांक-.....22.03.2017 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....48...../टि० पर दिनांक-.....22.03.2017 को प्राप्त है।

16. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०सु०-03-17/2015 258 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-22/3/17

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा/ नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी०, प्रबंधक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

सरकार के विशेष सचिव।